तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2832/2005/टोंक घासी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्रीमति पूनम माथुर, अति0राजकीय उप अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 19.1.2021

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नबर 2339 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के विरूद्व चारागाह भूमि पर नाजायज काश्त करने से तहसीलदार,मालपुरा द्वारा अपने आदेश दिनांक द्वारा 18–10–96 द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए 1 माह का सिविल कारावास एवं एवं बेदखली के रू॰ में 883/–रूपये का अर्थदण्ड के आदेश जारी किए । उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–12–97 से खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2005 से तहसीलदार द्वारा दी गई एक माह के सिविल कारावास की सजा को 7 दिवस की सिविल जेल से दण्डित किया गया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31–3–2005 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2832/2005/टोंक घासी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों में उल्लेखित किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विवादित रकबा आराजी राज है तथा मौके पर कोई चारागाह नहीं है । तहसीलदार द्वारा उन्हें कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया । समुचित तामील भी नहीं है । प्रार्थी का पिछले 30–35 वर्षो से लगातार कब्जा चले आने एवं प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को लाखो रूपये खर्च कर उपजाउ करने एवं बगीचा निर्माण करने के कारण प्रार्थी नियमन का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालयों ने सरसरी तौर पर बिना कोई जांच किए प्रार्थी के विरूद्व बेदखली एवं सिविल करावास की सजा का आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रार्थी के नाम विवादित भूमि नियमन किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें । इसके विपरीत अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई कानूनी क्षेत्राधिकार अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तो निर्विवाद है कि प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर फसल बोकर एवं बाग बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी अपनी निगरानी मीमो में स्वयं यह उल्लेख कर रहा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2832/2005/टोंक घासी बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि विवादित भूमि पर कब्जा पिछले 30–35 वर्षो से लगातार है । इस प्रकार प्रार्थी की हैसियत एक अतिक्रमी की है । प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी अतिक्रमी न होकर खातेदार है। निगरानी मीमों के साथ भी प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किये गये है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक क्षेत्राधिकार अथवा तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते है। प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पाारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाते हैं। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे तथा निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	